

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
 पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्वयोदय संबल पखवाड़ा-2025 शिविर- विन्जारी

प्रकरण संख्या:- 17/2025

दिनांक:- 24/6/2025

उपखण्ड

श्री. सुमन पुत्री राकवदप
 रवाली सफेद

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
 चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

आदेश :-



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दरतावेज, पटवारी हल्का विन्जारी भू अ. नि. आरववाड़ा 300 एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम आरववाड़ा पं 80 विन्जारी की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 20 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को गिम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1	रहन	रहेर बैंड झॉड दिकार एण्ड जयपुर, शाखा 206 मा०	रहेर बैंड झॉड इन्जिया, शाखा सवाई माधोपुर

उपखण्ड अधिकारी
 चौथ का बरवाड़ा
 चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर अख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री सुमन पुत्री राकवदप रवाली 17 मा०
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी
 चौथ का बरवाड़ा
 उपखण्ड अधिकारी
 चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)